रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2015/भाद्र 31, 1937
No. 586] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2015/BHADRA 31, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 730(अ).—केंद्रीय सरकार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) धारा 73 की उप-धारा (2) क खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ञ ञ), खंड (ञ ञ ञ), और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा(1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में नियम 2 में, उपनियम (1) में, खंड (घ) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई दस्तावेज "शासकीय विधिमान्य दस्तावेज" समझा जाएगा, चाहे इसके जारी करने के पश्चात् इसके नाम में कोई परिवर्तन ही क्यों न हो, परंतु यह तब जब कि यह राज्य सरकार द्वारा या राजपत्र अधिसूचना द्वारा नाम का ऐसा परिवर्तन उपदर्शित करते हुए जारी विवाह प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो।'।

3. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 7 में, -

(क) उप-नियम (3) में,

(i) "कोई जारी" शब्दों के पश्चात् "निदेशक के परामर्श से उसके" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "द्वारा निदेशित" शब्दों के पश्चात् "निदेशक के परामर्श से उसके" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (4) में, "यथा विनिर्दिष्ट" शब्दों के पहले "निदेशक के परामर्श से" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं.7/2015/पी.12011/1/2013-एस.ओ. (ई.एस. सैल)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण – मूल नियम सं. सा.का. नि. 444 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का. नि. 717 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सं. सा.का. नि. 389 (अ), तारीख 24 मई, 2007, सं. सा.का. नि. 816 (अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सं. सा.का. नि. 76 (अ), तारीख 12 फरवरी, 2010 सं. सा.का. नि. 508 (अ), तारीख 16 जून, 2010 और सं. सा.का. नि. 980 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2010, सं. सा.का. नि. 481 (अ), तारीख 24 जून, 2011, सं. सा.का. नि. 576 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सं. सा.का. नि. 288 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सं. सा.का. नि. 544 (अ), तारीख 7 जुलाई, 2015 और सं. सा.का. नि. 693 (अ), तारीख 11 सितंबर, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2015

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 2, in sub-rule (1), in clause (d), the following explanation shall be inserted, namely :—

'Explanation.- For the purpose of this clause, a document shall be deemed to an "officially valid document" even if there is a change in the name subsequent to its issuance provided it is supported by a marriage certificate issued by the State Government or Gazette notification, indicating such a change of name.'.

3. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 7,-

(a) in sub-rule (3),-

(i) after the words "issued by", the words "the Director in consultation with, its" shall be inserted;

(ii) after the words "directed by", the words "the Director in consultation with," shall be inserted;

(b) in sub-rule (4), after the words "specified by", the words "the Director in consultation with," shall be inserted.

[Notification No. 7/2015/P.12011/1/2013-S.O.(E.S. Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR,Under Secy.

Note :- The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R.816 (E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76 (E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011, number G.S.R. 576 (E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288 (E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544 (E), dated the 7th July, 2015 and number G.S.R. 693 (E), dated the 11th September, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.